संख्या:179/2026/1379/35-4-2026/35-4002(003)/20/2026

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 11 सितम्बर,2026

विषय: त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर में शासनादेश संख्या- 71/2026/544/35-4-2026 /35-4002(003)/20/2026 दिनांक 30 मार्च, 2026 द्वारा 143 कार्यों की रू. 3939.74 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 1884.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है। जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के पत्रांक-360/त्वरितआ0वि0यो0/2025-26 दिनांक 07.08.2026 के क्रम में उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 30.03.2026 के प्रस्तर-1 की तालिका के क्रमांक-40 पर अंकित निम्नलिखित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को एतद्द्वारा निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

कार्य का नाम	शासनादेश दिनांक 30.03.2026 का क्रमांक	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
बदरपुर गांव में हरिशचंद्र के घेर से होराम के घेर तक नाला निर्माण कार्य।	40	14.37	7.00

2- जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 30.03.2026, इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। निरस्त कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि को राजकोष के सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा कराते हुए इसकी सूचना ट्रेजरी चालान की प्रति सहित शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,

अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या:179/2026/1379(1)/35-4-2025/35-4002(003)/20/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, मेरठ मंडल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बुलन्दशहर।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बुलन्दशहर।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, बुलन्दशहर।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।